

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/एएनएम/0479/2024/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमति सचेता कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चैन, जिला भरतपुर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 19.10.2021 से दिनांक 25.02.2022 तक 130 व दिनांक 15.07.2022 से दिनांक 25.07.2022 तक 11 दिवस (कुल 141 दिवस) का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006-I दिनांक 25.10.2019 एवं दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवकाश उपभोग पर असाधारण अवकाश की सीमा तक (कुल 141 दिवस) कार्मिक के परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/एएनएम/0479/2024/03

दिनांक:- 02-01-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई0डी0 क्रमांक 1414 दिनांक 21.11.2022 के क्रम में।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-भरतपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
6. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, सर्वर रुम उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :02-01-2025 10:56:32